कार्यालय केंद्रीय नज़ारत, जनपद न्यायालय एटा

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायाधीश एटा के न्यायालय के सामने स्थित पार्क में (स्वीकृत बहुमंजिला न्यायालय भवन के निर्माण स्थल पर) स्थित 08 पेड़ों (जामुन, बेल, बोतल ब्रुश, केसिया सेमिया, 02 आम के पेड़ एवं 02 अशोक के पेड़) की नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश एटा द्वारा गठित नीलामी समिति की उपस्थिति एवं निर्देशन में दिनांक 06-09-2022 को अपराह्न 3.30 बजे से जनपद न्यायालय एटा के सभागार में की जाएगी।

इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि एवं स्थान पर नीलामी में भाग लेने हेतु उपस्थित हों ।

नीलामी होने वाले पेड़ों का विवरण

क्रम संख्या	वृक्ष प्रजाति	गोलाई से. मी. में	दशा स्थिति
1	2	3	4
1	जामुन	180	हरा अयोग्य
2	बेल	50	हरा अयोग्य
3	बोतल ब्रुश	160	हरा अयोग्य
4	आम देशी	175	हरा योग्य
5	आम देशी	126	हरा ठोस
6	अशोक छत्र कटा	45	हरा अयोग्य
7	अशोक छत्र कटा	35	हरा अयोग्य
8	केसिया सेमिया	90	हरा अयोग्य

समस्त वृक्षों का आरक्षित मूल्य मु0 26,380/- रुपये होगा ।

नीलामी की शर्तें

1. इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में आकर केंद्रीय नाज़िर , जनपद न्यायालय, एटा के साथ उक्त वृक्षों का निरीक्षण कर सकते हैं ।

2. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति कुल न्यूनतम मूल्य का 10% जरिये टेंडर जमानत राशि के रूप में जमा करने के पश्चात ही नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी के बाद असफल निविदाओं की जमानत राशि वापस की जाएगी।

3. नीलामी प्राप्तकर्ता व्यक्ति को पेड़ काटने के पश्चात उससे सम्बंधित सभी अपशिष्ट हटाना होगा। अन्यथा की स्थिति में, जमानत राशि से अपशिष्ट हटाने का कार्य करा लिया जाएगा ।

4. सबसे ऊँची बोली वाले व्यक्ति के पक्ष में नीलामी स्वीकृत की जायेगी।

5. नीलामी प्राप्तकर्ता व्यक्ति को नीलामी की पूर्ण धनराशि तत्काल जमा करनी होगी।

6. नीलामी प्राप्तकर्ता को एक सप्ताह के अंदर उपरोक्त पेड़ों को काटकर हटाना होगा ।

7. नीलामी प्राप्तकर्ता को वन विभाग एटा से वृक्षों को काटने हेतु आवश्यक अनुमति स्वयं प्राप्त करनी होगी ।

8. पेड़ों की कटाई में यदि न्यायालय परिसर कि कोई क्षति होती है तो उसकी समस्त मरम्मत नीलामी प्राप्तकर्ता को तत्काल करानी होगी ।

9. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा पत्र दिनांकित 17–08–2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि– उपर्युक्त वृक्षों के पातन हेतु नीलामी क्रेता द्वारा विभागीय पोर्टल www.upforest.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा तत्पश्चात वृक्ष पातन अनुमति दिए जाने सम्बन्धी कार्यवाही अविलम्ब कर दी जायेगी।

10. गजट नोटिफिकेशन संख्या 24/81-5-2020-07-93 दिनांकित 07–01–2020 के अनुपालन में नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा एक काटे हुए वृक्ष के स्थान पर 10 पेड़ों को लगाया जायेगा। पेड़ न लगाए जाने की स्थिति में 10 वृक्षों का मूल्य एवं 05 वर्ष तक के रख रखाव की लागत, वन विभाग में जमा करनी होगी।

प्रतिलिपि केन्द्रीय नाजिर द्वारा निम्नलिखित बोर्डों पर चस्पा करने हेतु-

1. नोटिस बोर्ड जनपद न्यायालय, एटा।
2. नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, एटा।
3. नोटिस बोर्ड जिला परिषद, एटा।
4. नोटिस बोर्ड नगर पालिक, एटा।
5. नोटिस बोर्ड विकास भवन, एटा।
6. नोटिस बोर्ड बस स्टैण्ड, एटा।
7. कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

8. कार्यालय जिला सूचना अधिकारी एटा ।
9. वैबसाइट जनपद न्यायालय, एटा।
10. वैबसाइट माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
11. दैनिक समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित की जावे।

18/8/22
(सुबोध भारती)
सदस्य,
नीलामी समिति /
अपर जिला जज,
कक्ष सं०-4, एटा।

18.08.22
(राम बाबू यादव)
सदस्य,
नीलामी समिति /
अपर जिला जज,
कक्ष सं०-3, एटा।

18/8/2022
(विकास गुप्ता),
अध्यक्ष,
नीलामी समिति /
अपर जिला जज,
कक्ष सं०-2, एटा।